



सामाजिक समानता के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन (शिवपुरी जिले का एक अध्ययन)

अरविन्द कुमार शर्मा, सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय सनातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म०प्र०)
प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हिन्दू समाज को चार वर्णों में बांटा गया एवं प्रत्येक वर्ण के कार्य एवं अधिकार निश्चित किए गये। धार्मिक आधारों पर चतुर्वर्ण के सदस्यों पर नियोग्यताएँ लादी गई। उन्हें अधिकारविहीन, उपेक्षित एवं तरिष्कृत किया गया।

अनेक समाज सुधारकों ने समाज की इस विभेदक व्यवस्था का विरोध किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों को सभी क्षेत्रों में समानता एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है एवं आ रहा है।

उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध आलेख का प्रमुख उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि संवैधानिक प्रावधानों से जिन अधिकारों की प्राप्ति अनुसूचित जाति के सदस्यों को हुई है, उससे उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उनमें क्या और कैसे परिवर्तन आ रहा है और उससे उनके विचार, भावनाएँ, सांस्कृतिक मूल्य एवं सरकारों में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र –

शिवपुरी जिला उत्तर में 24°.60' से 25°.60' अक्षांश तथा देशांश पूर्व में 77°.2' से 78°.4' देशांश के बीच विस्तृत है। शिवपुरी जिले का क्षेत्रफल 10278 वर्ग कि.मी. है। शिवपुरी के उत्तर में जिला ग्वालियर, उत्तर पूर्व में जिला दतिया, उत्तर पश्चिम में जिला श्योपुर, पूर्व में उत्तर प्रदेश का जिला झांसी तथा दक्षिण में जिला गुना इसकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। शिवपुरी जिला मुख्यालय आगरा, ग्वालियर, बम्बई राजमार्ग पर स्थित है तथा इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। शिवपुरी मध्यभारत राज्य के समय सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुका है। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों को देखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं सिंधिया घराने की छत्रियाँ, चाँदपाठा बाँध आदि दर्शनीय स्थल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिवपुरी जिले की कुल जनसंख्या 1725818 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 919405 तथा स्त्री जनसंख्या 806413 है। जिले की कुल साक्षरता 63.73 प्रतिशत है।

न्यायदर्शों का निर्धारण –

शोध कार्य हेतु शिवपुरी जिले की तहसीलों के नगरीय क्षेत्र से 200 न्यायदर्शों एवं ग्रामीण क्षेत्र से भी 200 न्यायदर्शों का चयन किया गया। शिवपुरी जिले में वाल्मिकी, कोली, कोरी, जाटव, आदि म.प्र. में निवास करने वाली अधिकांश अनुसूचित जातियों के सदस्य निवास करते हैं।

न्यायदर्शों के चयन हेतु देवनिर्देशन प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकृत निदर्शन एवं लाटरी प्रणाली का उपयोग किया गया।

उपकल्पनाएँ –

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नांकित उपकल्पनाओं की स्थापना करके प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

- (1) शिवपुरी जिले के अनुसूचित जाति के सदस्यों के जीवन में संवैधानिक प्रावधानों से प्राप्त अधिकार एवं समानता प्राप्ति से धार्मिक जीवन में परिवर्तन आया है।
- (2) शिवपुरी जिले के अनुसूचित जाति के सदस्यों को संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति से उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तथा वे समाज की मूलधारा से जुड़े हैं, जिससे उनके सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया है।

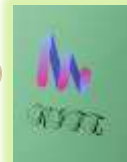
शोध विधि –

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों का संकलन अनुसूची एवं साक्षात्कार विधि द्वारा किया गया। अनुसूची के प्रथम स्तर पर व्यक्तिगत जानकारी तत्पश्चात् सूचनादाताओं की सामान्य विशेषताएँ जैसे उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर, धार्मिक अधिकार, मंदिर प्रवेश, पूजा-पाठ, भूत-प्रेत, मोक्ष प्राप्ति, वेशभूषा आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया।

प्रश्नों को अनुसूची में सरल ढंग से व्यवस्थित रूप से रखा गया, जिससे स्पष्ट उत्तर मिल सके एवं उनका सही विश्लेषण किया जा सके।

सर्वेक्षित समूह –

- 1) सर्वेक्षित समूह में 99.25 प्रतिशत पुरुष एवं 0.75 प्रतिशत स्त्रियाँ थी।
- 2) वैवाहिक स्थितिरु चयनित प्रतिनिधियों में 99.25 प्रतिशत विवाहित पुरुष एवं 0.75 प्रतिशत विधवा महिलाएँ थीं।



- 3) व्यवसायिक स्थिति: चयनित प्रतिनिधियों में 25.75 प्रतिशत कृषि कार्य 25.25 प्रतिशत व्यापार, 31.50 प्रतिशत नौकरी करते हैं एवं 17.50 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति हैं, जो कुछ नहीं करते।
- 4) आयु समूह : सर्वक्षित समूह में 01-25 वर्ष आयु समूह के 16.25 प्रतिनिधि, 26-50 वर्ष आयु वर्ग में 53.75 प्रतिशत एवं 51-75 आयु वर्ग में 27.00 प्रतिशत एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 03.00 प्रतिशत सदस्य है।

चयनित सूचनादाताओं से धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की एवं तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

सर्वप्रथम सूचनादाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गई कि क्या आप नियमित पूजा करते हैं। इस संबंध में निम्न जानकारी प्राप्त हुई—

तालिका क्रमांक 1 पूजापाठ संबंधी विचार

क्रमांक	क्या आप नियमित पूजा करते हैं	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	299	74.75
2	नहीं	101	25.25
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 74.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार वे नियमित रूप से पूजा-पाठ करते हैं। धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति से अब इस समूह की आर्थिक आस्था बढ़ी है। 25.25 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे हैं जो कभी-कभी, विशेष अवसरों पर ही पूजा पाठ नियमित करते हैं।

तालिका क्रमांक 2 जादु-टोने संबंधी विचार

क्रमांक	क्या आज जादु-टोने में विश्वास करते हैं	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	97	24.25
2	नहीं	303	75.75
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 75.75 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे हैं जो जादु-टोने में विश्वास नहीं करते हैं। जो स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वे नवीन ज्ञान- विज्ञान के संपर्क में आए हैं, जिससे उनके विचार तर्कयुक्त एवं विज्ञान सम्मत हुए हैं। जबकि 24.25 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो आज भी जादु-टोने में विश्वास करते हैं। ये स्थिति प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आशिक्षित सदस्यों में विशेष रूप से पाई गई है।

तालिका क्रमांक 3 पुर्नजन्म सम्बन्धी विचार

क्रमांक	पुर्नजन्म सम्बन्धी विचार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	89	22.25
2	नहीं	311	77.75
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 77.75 प्रतिशत न्यादर्श पुर्नजन्म में विश्वास नहीं करते हैं, जो उनमें बढ़ता शिक्षा का स्तर, आधुनिक मानसिकता एवं दृष्टिकोण की वृद्धि को नष्ट करता है। जबकि 22.25 प्रतिशत न्यादर्श आज भी पुर्नजन्म में विश्वास करते हैं। ये स्थिति उन सदस्यों में है जो अशिक्षा एवं अंधविश्वास व पुरानी रुढ़ियों में जकड़े हुए होने के कारण पुर्नजन्म संबंधी धारणाओं में विश्वास करते हैं।

तालिका क्रमांक 4 भूत-प्रेत में विश्वास संबंधी विचार

क्रमांक	भूत-प्रेत में विश्वास करते हैं	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	89	22.25
2	नहीं	311	77.75
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 77.75 प्रतिशत सूचनादाता भूत-प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। जिसका प्रमुख कारण यह पाया गया कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का संपर्क एवं आधुनिक दृष्टिकोण व नगरीकरण का प्रभाव अब इन पर पड़ने लगा है। जबकि 22.25 प्रतिशत उत्तरदाता भूत-प्रेत में आज भी विश्वास करते हैं। यह मानसिकता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की कमी एवं पुरानी मानसिकता के कारण पायी जाती है।



तालिका क्रमांक 5 मंदिर जाने संबंधी विचार

क्रमांक	आप नियमित रूप से मंदिर जाते हैं	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	201	50.25
2	नहीं	199	49.75
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 50.25 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करता है। एवं इसका प्रमुख कारण संवैधानिक धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति भी है। संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति से अब उन्हें मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला है। जबकि 49.75 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से मंदिर नहीं जाते हैं। जिसका प्रमुख कारण व्यस्तता एवं समय की कमी है।

तालिका क्रमांक 6 पारंपरिक वेशभूषा संबंधी विचार

क्रमांक	क्या आप/परिवार के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं।	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	19	04.75
2	नहीं	381	95.25
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 95.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा / परिवार के सदस्यों द्वारा आज पारम्परिक वेशभूषा नहीं पहनी जाती है। ये सदस्य आधुनिकता, पाश्चात्य मानसिकता के प्रभाव, नकरीकरण, नवीन समाज के संस्कृति एवं सभ्यता के संपर्क में हैं। जबकि केवल 04.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा / परिवार के सदस्यों द्वारा आज भी पारम्परिक वेशभूषा पहनी जाती है। ये सदस्य आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चात्य मानसिकता के संपर्क में ज्यादा नहीं आए हैं एवं आज भी ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण परंपरागत वेशभूषा पहनते हैं।

तालिका क्रमांक 7 धर्म परिवर्तन संबंधी विचार

क्रमांक	क्या आपने/परिवार के सदस्यों ने धर्म परिवर्तन किया है।	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	00	00
2	नहीं	400	400
	योग	400	100.00

तालिका से पता चलता है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने न तो स्वयं / परिवार के सदस्यों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। जिसका कारण संवैधानिक रूप से उन्हें अपनी ही धर्म में सम्मान, समानता एवं अधिकारों की प्राप्ति होना है।

तालिका क्रमांक 8

क्रमांक	क्या आप शिक्षा को आर्थिक/भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक मानते हैं।	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	373	93.25
2	नहीं	027	06.75
	योग	400	100.00

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि 93.25 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा को आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक मानते हैं। शिक्षा प्राप्ति से उनका कर्म एवं स्वयं में उनका विश्वास बढ़ा है। सोच, विचार, तर्क समझ में वृद्धि होती है। जबकि 06.75 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि केवल शिक्षा प्राप्ति से ही व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है वरन् इस हेतु भाग्य व उचित समय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपरोक्त विचारों को जानने के पश्चात् उपकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

उपकल्पनाओं का परीक्षण –

उपरोक्ता तालिकाओं के निष्कर्षों के आधार पर उपकल्पनाओं का परीक्षण निम्न प्रकार से किया गया।

- (1) प्रथम उपकल्पना हेतु तालिका क्रमांक 1 एवं 5 व 7 के निष्कर्ष बताते हैं कि 74.75 प्रतिशत सूचनादाता नियमित रूप से पूजा करते हैं, 50.25 प्रतिशत सूचनादाता नियमित रूप से मंदिर जाते हैं एवं 100 प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्वयं या परिवार के किसी सदस्य ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, जो प्रथम उपकल्पना सत्य सिद्ध करते हैं।
- (2) द्वितीय उपकल्पना हेतु तालिका क्र. 6 एवं 9 के निष्कर्ष बताते हैं कि 95.25 प्रतिशत सूचनादाता अब स्वयं / परिवार के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा नहीं पहनते एवं 93.25 प्रतिशत सूचनादाता शिक्षा



प्राप्ति को आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक मानते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उनके सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया है। 75.75 प्रतिशत सूचनादाता जादू-टोने में एवं 77.75 प्रतिशत सूचनादाता भूत-प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। जिससे द्वितीय उपकल्पना भी सत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्ष –

उपरोक्त तथ्यों से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों एवं अधिकारों की प्राप्ति से अनुसूचित जाति-जनजाति के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया है। संवैधानिक प्रावधानों की प्राप्ति से उनकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे उनमें आधुनिकीकरण, नवीन ज्ञान-विज्ञान, दृष्टिकोण एवं विचारों में वृद्धि हुई है। अब वे अंधविश्वास एवं कुरृतियों से धीरे-धीरे मुक्त हो रहे हैं। संविधान प्रदत्त धार्मिक समानता व स्वतंत्रता प्राप्ति से उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों, आदर्शों एवं जीवन शैली में परिवर्तन आया है एवं आ रहा है।

संदर्भ –

- (1) शर्मा एवं गुप्ता, यूनिफाईड समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 1998.
- (2) मुखर्जी रविन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 1999.
- (3) पहाड़िया बी. एम., भारत में सामाजिक परिवर्तन (स्रोत, प्रक्रिया एवं परिणाम), विद्या भवन, इन्दौर, 1994-95.

